



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 चैत्र, 1942 (श०)

संख्या- 183 राँची,

मंगलवार, 24 मार्च, 2020 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

24 मार्च, 2020/ 4 चैत्र, 1942 (शक)

संख्या 318/रा.स.-मल्टी/2020: - यतः आयोग ने दिनांक 06 मार्च, 2020 की अपनी अधिसूचना सं. 318/रा.स.-मल्टी/2020(1) के जरिए 17 राज्यों से 55 स्थानों के लिए राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए कार्यक्रम अधिसूचित किया है;

यतः, उक्त अधिसूचना के जरिए मतदान की तारीख 26.03.2020 (गुरुवार) नियत की गई है और वह तारीख जिसके पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा, 30.03.2020 (सोमवार) रखी गई है;

यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान राज्यों में उक्त द्विवार्षिक निर्वाचनों के लिए मतदान 26.03.2020 को आयोजित किया जाना अपेक्षित है;

यतः, मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य की अप्रत्याशित आपातस्थिति की समीक्षा करने पर तथा भारत सरकार के विभिन्न राज्यों में COVID-19 के प्रबंधन और नियंत्रण के बारे में जारी निर्देशों के दृष्टिगत, आयोग ने दिनांक 24.03.2020 के अपने आदेश सं. 318/रा.स.-मल्टी/2020-द्विवार्षिक के जरिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 153 के उपबंधों के अंतर्गत पूर्वोक्त 7 राज्यों के संबंध में उक्त द्विवार्षिक निर्वाचन को पूरा करने की अवधि, उसमें उल्लिखित कारणों के लिए, बढ़ाने का निर्णय लिया है;

अतः, अब उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 153 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग दिनांक 06 मार्च, 2020 की अपनी अधिसूचना सं. 318/रा.स.-मल्टी/2020(1) में एतद्वारा इस सीमा तक संशोधन करता है कि मतदान, मतगणना की तिथि और वह तिथि, जिसके पहले निर्वाचन संपन्न हो जाएंगे, उसकी घोषणा परिस्थिति की आगे समीक्षा किए जाने के उपरांत यथासमय की जाएगी। संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उक्त निर्वाचनों के लिए पहले से प्रकाशित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, उक्त अधिसूचनाओं के अंतर्गत यथा-विहित शेष कार्यकलापों के प्रयोजनार्थ, वैध रहेगी।

आदेश से,

वरिन्दर कुमार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राहुल कुमार पुरवार,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION****24th March, 2020/ Chaitra 4, 1942 (Saka)**

No. 318/CS-MULTI/2020: - WHEREAS, the Commission, vide its Notification No. 318/CS-MULTI/2020(1), dated 06th March, 2020, has notified the schedule for the biennial election to the Council of States for 55 seats from 17 states;

Whereas, vide said notification, the date of poll is fixed as 26.03.2020 (Thursday) and the date before which election shall be completed is kept as 30.03.2020 (Monday);

Whereas, as per the reports received from the concerned Returning Officers, in the States of Andhra Pradesh, Gujarat, Jharkhand, Madhya Pradesh, Manipur, Meghalaya and Rajasthan, poll is required to be held on 26.03.2020 for the said biennial elections;

Whereas, on review of the prevailing unforeseen situation of public health emergency and the Government of India instructions for management and containment of COVID-19 in various States of the Country, the Commission has, vide its Order No. 318/CS-MULTI/2020-BIEN dated 24.03.2020, decided to extend the period for completion of said biennial election w.r.t. aforesaid 7 states under the provisions of section 153 of the Representation of the People Act, 1951 for the reasons mentioned therein;

Now, therefore, in view of the above and in exercise of the powers vested under section 153 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby makes amendment in its notification No. 318/CS-MULTI/2020(1), dated 06th March, 2020 to the extent that the date(s) for taking poll, counting of votes and date before which election shall be completed shall be announced in due course after reviewing the situation further. The list of contesting candidates, already published for the said elections by the respective Returning Officers shall remain valid for the purposes of remaining activities, as prescribed under the said notifications.

By order,

VARINDER KUMAR,

SENIOR PRINCIPAL SECRETARY